न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 10/2017 (225 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. हरवीर पुत्र धनीराम जाति जाट निवासी ग्राम बमनपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।
2. अनिल पुत्र धनीराम जाति जाट निवासी ग्राम बमनपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।

.....वादीगण/ अपीलांटान

बनाम

1. मेदी पुत्र लटूर जाति जाट निवासी ग्राम बमनपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।
2. धनीराम पुत्र मेदी जाट निवासी ग्राम बमनपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर राज0
3. विश्वेन्द्र पुत्र मेदी जाट निवासी ग्राम बमनपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर राज0
4. सुन्दर पुत्र मेदी जाट निवासी ग्राम बमनपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर राज0
5. सतीश पुत्र मेदी जाट निवासी ग्राम बमनपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर राज0
6. बिजेन्द्र पुत्र मेदी जाट निवासी ग्राम बमनपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर राज0
7. भरतसिंह पुत्र मेदी जाट निवासी ग्राम बमनपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर राज0
8. रीना पुत्री महाराजसिंह नाबालिग बसरपरस्त मेदी पुत्र लटूर जाति जाट निंवासी ग्राम बमनपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।
9. राधेश्याम पुत्र पलटूराम जाति जाट निवासी ग्राम बमनपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर राजं0 ।
10. बच्चू पुत्र पलटूराम जाति जाट निवासी ग्राम बमनपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर राज0
11. अन्तराम पुत्र सूरजमल जाति जाट निवासी ग्राम बमनपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।
12. पलटू पुत्र श्रीमल जाट निवासी ग्राम बमनपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर राज0
13. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।
14. सुनील पुत्र धनीराम जाति जाट निवासी ग्राम बमनपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।

.....प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्टान

उपस्थित :–
1.श्री प्रभूसिंह चौधरी, अभिभाषक अपीलांट

2.श्री मूलचन्द चौधरी अभिभाषक रेस्पो0 ।
3.श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–25.09.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी कठूमर के निर्णय दिनांक 23.01.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटान ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 114, 117, 119, 422, 423, 490, 491, 492, 493, 494, 495 वाके ग्राम बमनपुरा तहसील कठूमर में स्थित है । सायल व गैर सायलान एक ही परिवार के सदस्य हैं । विवादित आराजी पैत्रिक आराजी है जो गैर सायल सं0 1 लटूर से विरासत में प्राप्त हुई है । विवादित आराजी में सायलान व तरतीबी प्रतिवादी सं0 14 को जन्म से ही यानि बाई बर्थ खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं । सायलान व तरतीबी प्रतिवादी सं0 14 विवादित आराजी के 1/10 हिस्से के काबिज कृषक खातेदार है लेकिन गैर सायलान व तरतीबी प्रतिवादी सं0 14 को खातेदार मानने से इन्कार कर रहे हैं । गैर सायल सं0 1 ने अन्य गैर सायलान से बेजा साजबाज होकर बिना किसी आवश्यकता के सायलान को बेजा नुकसान पहुंचाने की गरज से आराजी ख0 नं0 126 का 40/105 हिस्सा गैर सायल सं0 9 व 10 को तथा ख0 नं0 126 का 40/105 हिस्सा गैर सायल सं0 11 को तथा ख0 नं0 114 का 31/38 हिस्सा गैर सायल सं0 12 को ख0 नं0 422 सालिम का गैर सायल सं0 12 को तथा ख0 नं0 422 को गैर सायल सं0 5, 6, 7 को बिना प्रतिफल प्राप्त किये व बिना कब्जा लिये दिये बेचान कर दिया जिस बेचान से सायलान पाबन्द नहीं है । उक्त बेचान सायलान के हक हकूकों तक बातिल एवं बेसर है । गैर सायलान जबरदस्त व लड़ाका व्यक्ति है जो सायलान को उनके हिस्से के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते हैं तथा शामलात कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते हैं तथा सायलान के हिस्से की आराजी पर खुद कब्जा करना चाहते हैं तथा हाल राजस्व रेकार्ड के आधार पर रहन, बय करने की धमकी देते हैं जबकि गैर सायलान को ऐसा करने का अधिकार नहीं है । यदि गैर सायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाब हो गये तो सायलान को अपार हानि व क्षति होगी जिसकी पूर्ति करना सम्भव नहीं है । इसलिए गैर सायलान को ताफैसला दावा पाबन्द करने का निवेदन किया । विद्वान तहत न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पेश किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनकर वादीगण का प्रार्थना पत्र दि0 23.01.2017 को खारिज कर दिया जिस निर्णय दिनांक 23.01.2017 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया । तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि तहत न्यायालय में वादी/अपीलांट का दावा था जिसमें धनीराम के वारिस वादी व तरतीबी प्रतिवादी है । हिन्दू सक्शेसन एक्ट की धारा 8 के अनुसार पैतृक आराजी है जिसमें बाई बर्थ 1/10 हिस्सा का

तकासमा कराने के अधिकारी है । आराजी ख0 नं0 126 का 40/105 हिस्सा गैर सायल सं0 9 व 10 को तथा ख0 नं0 126 का 40/105 हिस्सा गैर सायल सं0 11 को तथा ख0 नं0 114 का 31/38 हिस्सा गैर सायल सं0 12 को ख0 नं0 422 सालिम का गैर सायल सं0 12 को तथा ख0 नं0 422 को गैर सायल सं0 5, 6, 7 को बिना प्रतिफल प्राप्त किये व बिना कब्जा लिये दिये बेचान कर दिया । उक्त बेचान सायलान के हक हकूकों तक बातिल एवं बेसर है । प्रतिवादीगण/रेस्पो0, अपीलांट/वादीगण के हिस्से का बेचान नहीं करें तथा कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा नहीं करें । तहत न्यायालय ने ताफैसला वाद पाबन्द किया जिसमें पक्षकार उपस्थित हुए और जवाब दिया तथा 212 के प्रार्थना पत्र पर बहस हुई है जिसमें तहत न्यायालय ने यह कहते हुए आदेश पारित किया है कि विवादित आराजी को पैत्रिक सिद्ध करने में अपीलांट असफल रहे हैं । साथ ही तहत न्यायालय ने यह भी कहा है कि खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है । अपीलांट ने सम्वत् 2028 की जमाबन्दी पेश की है जिसमें लटूर खातेदार है जो मेदी के पिता है । मेदी की खातेदारी में आयी आराजी तो खुर्द बुर्द कर दी । आराजी 32 बीघा में से साढे छब्बीस बीघा आराजी रह गयी है । वर्तमान जमाबन्दी में विक्रय करने के 5 नामान्तकरण खुले हुए हैं । अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण दिन प्रतिदिन आराजी विक्रय कर रहे हैं तो अपीलांट कहां जायेगें । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है जिसे निरस्त करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने का अनुरोध किया । उन्होंने अपने समर्थन में डी.एन.जे. 2009 मा पेज 1485 पेश की ।

जवाब बहस में अभिभाषक रेस्पो0 ने कहा कि प्रतिवादीगण/रेस्पो0 ने खातेदारी में मिली आराजी का आवश्यकतानुसार बेचान किया है जो विधिक विक्रय है । सायलान अपना पूरा हिस्सा लेकर अलग रह रहे हैं । तहत न्यायालय में प्रस्तुत जवाब का अवलोकन कराया । बहस में कहां कि सायलान ने अपने हिस्से का बयनामा करा लिया और जो बयनामा कराया उन नम्बरों को तर्क करा लिया । सायलान/अपीलांट के बेईमानी है । अपीलांट क्लीन हैण्ड से नहीं आये हैं । मेदी से बयनामा कराया है । जिस दिन 212 का निर्णय हुआ तब लटूर की जमाबन्दी नहीं थी । सैक्शन 8 लागू नहीं होती है । तहत न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है । इसलिए अपीलांट की अपील खारिज योग्य है । उन्होंने अपने कथन के समर्थन में आर.आर.टी. 2017 पेज 907, आर.आर.टी. 2018 पेज 907 व 692 पेश की ।

जवाबुल जवाब में अभिभाषक अपीलांट का कहना है कि क्या अपीलांट के पक्ष में किये बयनामें यहां पेश किये हैं ? क्या राजीनामा हुआ है ? क्या ख0 नं0 126 अन्य को बेचान किया है ? अपीलांट को कहां बयनामां किया है ? ख0 नं0 114 का बेचान बोला है । बयनामा अपीलांट के पक्ष में कहा है ? आज 25 बीघा में अपीलांट का 10 वां हिस्सा है । इसलिए आराजी के 1/36–1/36 हिस्से के राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा रहन, बय नहीं करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपील के तथ्य तथा वाद के तथ्यों का अवलोकन किया गया और तहत न्यायालय के आदेश दिनांक 23.01.2017 का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत नजीरों का भी ससम्मान अवलोकन किया ।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2028 के अनुसार लटूर वल्द राधे जाति जाट सा0देह खाता सं0 94 तथा ख0 नं0 114, 117, 119, 126, 422, 423, 490, 491, 492, 493 अंकित है । यद्यपि यह बिन्दू विवादित आराजी में अपीलांट पौतों का विवादित आराजी में क्या हित निहित है ? यह मूल वाद का विषय है, परन्तु उक्त जमाबन्दी से विवादित आराजी लटूर की खातेदारी में दर्ज होना जाहिर है ।

अपीलांट उक्त आराजी में अपने हिस्से अनुसार खातेदारी चा रहे हैं । ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा चाहे गये हिस्से 1/36–1/36 तक रेस्पोडेन्ट को विवादित आराजी को रहन, बय व मुन्तकिल नहीं करने व बयनामा नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाना उचित समझते हुए अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार योग्य है और तहत न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है ।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर के निर्णय दि0 23.01.2017 निरस्त किया जाता है तथा रेस्पो0 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निर्णय तक पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी में 1/36–1/36 अपीलांट के हिस्से तक की मांग तक राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें तथा विवादित आराजी को 1/36–1/36 हिस्से तक रहन, बय व मुन्तकिल नहीं करें । खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25/9/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर